रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2006/फाल्गुन 18, 1927
No. 94] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2006/PHALGUNA 18, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2006

सा.का.नि. 149(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "पंजाब कृषि उत्पाद विपणन (संशोधन) अधिनियम, 2005" (2005 का पंजाब अधिनियम सं. 12) को, जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र पर विस्तारित करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. धारा 1 की उप-धारा (1) में, "पंजाब कृषि उत्पाद विपणन (संशोधन) अधिनियम, 2005" शब्दों, कोष्ठकों और अंको के स्थान पर, "चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब कृषि उत्पाद विपणन (संशोधन) अधिनियम, 2005" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

2. धारा 2 में,—

(i) "पंजाब कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम, 1961" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र में लागू रूप में पंजाब कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम, 1961" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "प्रशासक, चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. धारा 3 में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "प्रशासक, चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. यू-11015/4/2005-यूटीएल]

के. एस. सुगतन, संयुक्त सचिव

704 GI/2006

अनुलग्नक

पंजाब कृषि उत्पाद विपणन (संशोधन) अधिनियम, 2005
(2005 का पंजाब अधिनियम सं. 12)

पंजाब कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब कृषि उत्पाद विपणन (संशोधन) अधिनियम, 2005 है।

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के पंजाब अधिनियम 23 की धारा 2 का संशोधन :—पंजाब कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

"(क) खंड (1) में, प्रधान विपणन यार्ड और उप-विपणन यार्ड" शब्दों के स्थान पर "प्रधान विपणन यार्ड, उप-विपणन यार्ड और प्राइवेट विपणन यार्ड" शब्द और चिह्न रखे जाएंगे: और

(ख) खंड (ढ़) के पश्चात् निम्नलिखित खंड : अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ढढ) "प्राइवेट विपणन यार्ड" से अधिसूचित विपणन क्षेत्र में प्रधान विपणन यार्ड या उप-विपणन यार्ड से भिन्न ऐसा अहाता, भवन या परिक्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति या कंपनी या सहकारी सोसाइटी के स्वामित्वाधीन है और उसके द्वारा उसका संचालन राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जाता है तथा जहां, अवसंरचना का विकास यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या कंपनी या सहकारी सोसाइटी द्वारा किया गया है।

स्पष्टीकरण :—इस खंड के प्रयोजन के लिए कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत होगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित की गई है।"

3. 1961 के पंजाब अधिनियम सं० 23 की धारा 7 का प्रतिस्थापन :—मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"7 **विपणन यार्ड की घोषणा** :— (1) प्रत्येक अधिसूचित विपणन क्षेत्र के लिए एक प्रधान विपणन यार्ड, एक या अधिक उतने उप-विपणन यार्ड और एक या अधिक उतने प्राइवेट विपणन यार्ड होंगे जितने आवश्यक हों।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अधिसूचित विपणन यार्ड में किसी अहाते, भवन या परिक्षेत्र को उस क्षेत्र के लिए प्रधान विपणन यार्ड घोषित कर सकेगी और अन्य अहातों, भवनों या परिक्षेत्रों को उस क्षेत्र के लिए एक या अधिक उप-विपणन यार्ड या एक या अधिक प्राइवेट विपणन यार्ड घोषित कर सकेगी।

(3) प्राइवेट विपणन यार्ड के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी या सहकारी सोसाइटी ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, आवेदन करेगी।"।

4. 1961 के पंजाब अधिनियम सं० 23 की धारा 8 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 8 में, "को और उसके पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "धारा 7 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय .... को और उसके पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे।

एच० एस० भल्ला,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2006

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh "The Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2005 (Punjab Act No. 12 of 2005), as in force in the State of Punjab on the date of this notification subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of Section 1, for the words, brackets and figures "the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2005", the words, brackets and figures "the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2005, as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

2. In Section 2,—

(i) for the words and figures "the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961", the words and figures "the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961, as applicable in the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted;

(ii) in clause (b), the words "State Government" the words "Administrator, Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

3. In Section 3, for the words "State Government" the words "Administrator, Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

[F. No. U-11015/4/2005–UTL]

K. S. SUGATHAN, Jt. Secy.

ANNEXURE

THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) ACT, 2005

(Punjab Act No. 12 of 2005)

An Act Further to amend the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Fifty Sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement:**—(1) This Act may be called the the Punjab Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of Section 2 of Punjab Act, 23 of 1961:**—In the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961 (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2,—

"(a) in clause (1), for the words and sign "Principal markets yard and sub-market yard", the words and sign "principal market yard, sub-yard and private market yard," shall be substituted; and

(b) after clause (n), the following clause shall be inserted namely:—

(nn) "Private market yard" means an enclosure, building or locality other than the principal market yard or sub market yard in the notified market area, owned and operated by any person or company or co-operative society in accordance with the terms and conditions of a licence, granted by the State Government and where infrastructure has been developed by such person or company or co-operative society, as the case may be;

Explanation :—For the purpose of this clause, company shall mean a company incorporated under the Cmparies Act, 1956".

3. **Substitution of Section 7 of Punjab Act 23 of 1961:**—In the principal Act, for Section 7, the following section shall be substituted namely:—

"7. **Declaration of Market Yards.**—(1) For each notified market area, there shall be one principal market yard, one or more sub-market yard, one or more sub-market yards and one or more private market yards as may be necessary.

(2) The State Government may, by notification, declare any enclosure building or locality in any notified market area to be principal market yard for the area and other enclosures, buildings or localities to be one or more sub- market yards or one or more private market yards for the area.

(3) Every person or company or co-operative society, as the case may be, desiring to obtain a licence for the private market yard, shall apply to such authority, in such manner and with such fee, as may be prescribed".

4. **Amendment in Section 8 of Punjab Act 23 of 1961:**—In the principal Act, in Section 8, for the words "On and after", the words "Save as otherwise provided in Section 7, on and after" shall be substituted.

H.S. BHALLA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.